



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 ज्येष्ठ 1948 (श0)

(सं0 पटना 610) पटना, शुक्रवार, 12 जून 2026

मद्यनिषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग
(निबंधन)

अधिसूचना

11 जून 2026

सं0स0-10/नि0-04-(क्रेडिट सीमा एवं कमीशन)-05/2026/3881—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (सं0- II 1899), जैसा कि बिहार राज्य में लागू है, की धारा 74 एवं 75 सह पठित धारा 10, 49 और 52 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ:-

- (1) यह नियमावली "बिहार स्टाम्प (सेवा प्रदाता अनुज्ञप्ति एवं ई-स्टाम्प की आपूर्ति) (संशोधन) नियमावली, 2026" कहलाएगी।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

2. बिहार स्टाम्प (सेवा प्रदाता अनुज्ञप्ति एवं ई-स्टाम्प की आपूर्ति) नियमावली, 2026 के नियम-12 में उल्लेखित प्रावधान के आलोक में सेवा प्रदाता के लिए अधिकतम क्रेडिट सीमा रु0- 10,00,000/- (दस लाख) मात्र निर्धारित की जाती है।

3. बिहार स्टाम्प (सेवा प्रदाता अनुज्ञप्ति एवं ई-स्टाम्प की आपूर्ति) नियमावली, 2026 के नियम-13 में उल्लेखित है कि:-

"कमीशन:-ई-स्टाम्प बेचने वाले या ई-स्टाम्प के लिए क्रेडिट सीमा खरीदने वाले सेवा प्रदाता को राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर अधिसूचित कमीशन का भुगतान किया जायेगा"।

नियम-13 को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"सेवा शुल्क:-ई-स्टाम्प बेचने वाले सेवा प्रदाता को देय सेवा शुल्क का निर्धारण निबंधन महानिरीक्षक द्वारा समय-समय पर किया जायेगा तथा वर्तमान में लागू व्यवस्था के अनुरूप सेवा शुल्क का भुगतान सेवा प्रदाता को पक्षकार द्वारा किया जायेगा"।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अजय यादव,
सरकार के सचिव।

11 जून 2026

सं०स०-10/नि०-04-(क्रेडिट सीमा एवं कमीशन)-05/2026/3881 उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अजय यादव,
सरकार के सचिव।

The 11th June 2026

S.O.No.-10/Reg-04-(Credit Limit and Commission)-05/2026/3881—In exercise of the powers conferred by Sections 10, 49 and 52 read with sections 74 and 75 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II 1899), as applicable to the State of Bihar, the State Government hereby make following Rules:

1. Short Title, Extent & Commencement:-

- i. These rules may be called the “Bihar Stamp (Service Provider Licence and Supply of e-Stamp) (Amendment) Rules, 2026”.
- ii. It shall extend to the whole of the State of Bihar.
- iii. It shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. In the light of the provisions stipulated in Rule 12 of the Bihar Stamp (Service Provider Licence and Supply of e-Stamps) Rules, 2026, the maximum credit limit for a Service Provider is fixed at Rs. 10,00,000/- (Ten Lakhs) only.

3. Rule-13 of the Bihar Stamp (Service Provider Licence and Supply of e-Stamp) Rules, 2026 states that:-

“Commission: The service provider selling e-stamps or purchasing credit limit for e-stamps shall be paid commission as notified by the State Government from time to time.”

Rule-13 is substituted as follows:-

“Service charge: The service charge payable to the Service Provider selling e-stamps shall be determined by the Inspector General of Registration from time to time and shall be paid by the party to the Service Provider as per the existing system.”

By the Order of the Governor of Bihar,
Ajay Yadav,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 610-571+500-डी०टी०पी०

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>